

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



समर्पित वयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]  
No. 98]दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2008/ज्येष्ठ 30, 1930  
DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2008/JYAISTHA 30, 1930[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 83  
[N.C.T.D. No. 83

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जून, 2008

फा. सं. 47/कोप./16/पोलिसी/06/589—598.—दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 114 की उप-धारा (1) के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व इसके द्वारा श्री एम. एल. विजय को न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 15-6-2008 से नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम से,

जी. एस. मीणा, अतिरिक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ

CO-OPERATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th June, 2008

No. F. 47/Co-op./16/Policy/06/589—598.—The Government of National Capital Territory of Delhi in exercise of powers conferred on it by sub-section 1 of Section 114 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), hereby appoint Sh. M. L. Vijay as Member of the Cooperative Tribunal for one year w.e.f. 15-6-2008.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,  
G. S. MEENA, Addl. Registrar, Co-op. Societies

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जून, 2008

सं. फा./III-3/सीएसटी/प्रशा./एसटीआई/2002/खंड फाईल/1230-39.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उप-राज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु. सुश्री)	पदनाम
1	2	3
1.	पवन कुमार पाठक	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
2.	मुकेश कुमार	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
3.	अजीत कुमार	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
4.	अनूप कुमार वर्मा	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
5.	नीतू पवार	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
6.	सतेन्द्रा कुमार	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक

1	2	3
7.	विनय चौधरी	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
8.	राजेश कुमार	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
9.	संजीव कुमार	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
10.	विजय सिंह	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
11.	शशी कुमार	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
12.	विकी धनवारिया	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
13.	मोनिका	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
14.	बिमला मल्हान	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
15.	टी. सी. सिंघल	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
16.	शारदा देवी	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
17.	प्रेम चंद	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
18.	एस. सी. सिंघल	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
19.	एस. एन. गौड़	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
20.	वीरेन्द्र पाल सिंह	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक
21.	गुरमीत कुमारी	मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उप-राज्यपाल के नाम तथा उनके आदेश पर, अर्चना अरोड़ा, विशेष सचिव (कराधान)

**DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES  
NOTIFICATION**

Delhi, the 20th June, 2008

**No. F. III-3/CST/ESTI/STI/2002/Pt. File/1230-39.—**

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with immediate effect to assist the Commissioner of Value Added Tax Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

Sl. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Km.)	Appointed as
1	2	3
1.	Pawan Kumar Pathak	Value Added Tax Inspector
2.	Mukesh Kumar	Value Added Tax Inspector
3.	Ajit Kumar	Value Added Tax Inspector
4.	Anoop Kumar Verma	Value Added Tax Inspector
5.	Nitu Pawar	Value Added Tax Inspector
6.	Satendra Kumar	Value Added Tax Inspector
7.	Viney Chaudhary	Value Added Tax Inspector
8.	Rajesh Kumar	Value Added Tax Inspector
9.	Sanjiv Kumar	Value Added Tax Inspector
10.	Vijay Singh	Value Added Tax Inspector
11.	Shashi Kumar	Value Added Tax Inspector
12.	Vicky Dhanwaria	Value Added Tax Inspector
13.	Monika	Value Added Tax Inspector
14.	Bimla Malhan	Value Added Tax Inspector

1	2	3
15.	T. C. Singhal	Value Added Tax Inspector
16.	Sharda Devi	Value Added Tax Inspector
17.	Prem Chand	Value Added Tax Inspector
18.	S. C. Singhal	Value Added Tax Inspector
19.	S. N. Gaur	Value Added Tax Inspector
20.	Virender Pal Singh	Value Added Tax Inspector
21.	Gurmeet Kumari	Value Added Tax Inspector

By Order and in the Name of the  
Lieutenant Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,  
ARCHANA ARORA, Spl. Secy. (Taxation)  
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 20 जून, 2008

सं. फा. 1(02)/2008 एसबी/859.—आई.आई.आई.टी. (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिनांक 10 जून, 2008 को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि निश्चित करते हैं।

सं. फा. 1(02)/2008/एसबी/859.—आई.आई.आई.टी. (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान)- दिल्ली अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिनांक 10 जून, 2008 को आई.आई.आई.टी. दिल्ली नामक संस्थान की स्थापना तिथि निश्चित करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,  
जे. पी. राय, अतिरिक्त सचिव

**DEPARTMENT OF TRAINING AND  
TECHNICAL EDUCATION  
NOTIFICATION**

Delhi, the 20th June, 2008

**F. No. 1(02)/2008-SB/859.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology)-Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the 10th June, 2008 as the date on which said Act shall come into force.

**F.No.1(02)/2008-SB/859.**— In exercise of power conferred by sub-section (1) of Section 3 of the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology)-Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the 10th June, 2008 as the date on which the institute by the name of IIIT, Delhi shall be established.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,  
J. P. RAI, Addl. Secy.